बिहार सरकार

# ग्रामीण विकास विभाग

## विज्ञापन

## प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का आमन्त्रण

ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के अन्तर्गत ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अंतरिम व्यवस्था के तहत प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना है । इस हेतु बिहार सरकार के निम्नलिखित विभाग के सामने अंकित पदाधिकारियों से विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :

| क्र. सं. | विभाग का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | ग्रामीण विकास विभाग | प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) |
| | | महिला प्रसार पदाधिकारी |
| 2. | पंचायती राज विभाग | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (पंचायत पर्यवेक्षक) |
| 3. | अनु.जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग | प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी (कल्याण पर्यवेक्षक) |
| 4. | अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) | प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक |
| 5. | श्रम संसाधन विभाग | श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (श्रम निरीक्षक) |
| 6. | सहकारिता विभाग | सहकारिता प्रसार पदाधिकारी |
| 7. | कृषि विभाग | प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी |

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्त निर्धारित की गयी है:

**योग्यता-**

- संबंधित पदाधिकारी कम से कम स्नातक या समकक्ष योग्यताधारी हों ।
- संबंधित पदाधिकारी कम से कम अपुनरीक्षित वेतनमान 5000-8000 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 9300 34800 (पी०बी० 2) ग्रेड वेतन रू० 4200 में कार्यरत हों।
- आवेदक अपना आरक्षण कोटि भी अंकित करें ।

**अनुभव**

- दिनांक 01.04.2013 को सरकारी सेवा में कम से कम 10 (दस) वर्षों का अनुभव हो।
- दिनांक 01.04.2013 को कम से कम 5 (पांच) वर्षों का पर्यवेक्षकीय कार्य का अनुभव हो।

**अन्य शर्तें-**

- यह प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति अधिकतम 3 वर्षों के लिए ही होगी।
- नियमित नियुक्ति होने पर यह प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- चयनित पदाधिकारी अपने वेतनमान में ही कार्य करेंगे।
- प्रतिनियुक्ति पर कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत ऐसे पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।
- सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसी भी समय पदाधिकारी की सेवाएँ वापस की जा सकेगी।
- प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापन पद रिक्त होने पर किया जायेगा ।

**आवेदन देने की बाध्यता---**

- वैसे 81 महिला प्रसार पदाधिकारी तथा 78 प्रसार पदाधिकारी जिन्हें योग्य सूची में शामिल कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया था परंतु इस सूची को उनके द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को वापस कर दी गयी थी इस सूची में शामिल महिला प्रसार पदाधिकारी/प्रसार पदाधिकारी द्वारा पुनः आवेदन पत्र भरे जाने की आवश्यकता नहीं है ।
- वैसे पर्यवेक्षक जिनकी सेवा पैतृक विभाग को वापस की जा चुकी है अथवा जिन्हें पैनल से हटाया जा चुका है उनसे पुनः आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- वैसे पर्यवेक्षक जो राजस्व सेवा संवर्ग के अधीन अंतरिम व्यवस्था के तहत प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित हैं अथवा पैनलबद्ध/सूचीबद्ध हैं, के द्वारा ओन लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा या विचारणीय नहीं होगा ।

**चयन प्रक्रिया**

- ऑन-लाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र पर संबंधित पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी के पैतृक विभाग की अनुशंसा एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा याचित पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर ही उसे पैनल के योग्य माना जायेगा ।
- प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में पैनल में हुई रिक्ति को भरने हेतु आरक्षण नियमों का पालन कर कोटिवार पैनल तैयार किया जायेगा।
- पदाधिकारियों का पदस्थापन पैनल में शामिल करने के पश्चात् पैनल से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ कार्यपालक दंडाधिकारी के रिक्त पदों पर किया जायेगा ।

**आवेदन देने की प्रक्रिया**

- आवेदन ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाईट http://rdd.bih.nic.in) के माध्यम से ऑन-लाईन भरा जाना है। आवदेन भरने के लिए पहले अभ्यर्थी उक्त वेबसाईट पर रजिस्टर कर लें । इसके लिए अपने यूजर आई०डी० तथा पासवर्ड देकर आवेदन प्रपत्र को भरें ।
- आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि- 12.06.13 है ।

(अमृत लाल मीणा)
सचिव

PR 2519 (R.W.) 13-14

वेतन भत्ता की चादर हो जितनी, फैला पांव लालसा की उतनी।